

06.09.2021 मत्तावली प्रेश हुई) अधिवक्त। पार्थी अनुमास्थित।

मत्तावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन जाहिर आया कि पार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुलाबपुरा के जिस प्रकरण संख्या 36/18 इनवान सरकार बनाम गोपाल लाल को अन्तर्गत न्यायालय में स्थानांतरण लावत यह पार्थीना मत्त पेश किया है, उक्त प्रकरण संख्या 36/18 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.06.2018 को आदेश/निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः पार्थी का पार्थीना मत्त अंतर्गत धारा 235 रा.अ. 1955 न्यायालय हाजा में चलाने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में तलविदा रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। प्रकरण नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा